रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-19112025-267817
CG-UP-E-19112025-267817

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5109] **नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 2025/कार्तिक 28, 1947**
No. 5109] **NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2025/KARTIKA 28, 1947**

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (निर्माण विभाग)]

अधिसूचना

झांसी, 18 नवम्बर, 2025

का.आ. 5280(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले के तहसील बीना में विशेष रेल परियोजना, अर्थात **"झाँसी-बीना तृतीय लाइन"** के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बीना, जिला-सागर (म0प्र0) को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधिव्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; इस अधिसूचना के अधीन आनेवाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्योरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है |

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना **"झाँसी-बीना तृतीय लाइन"** का निर्माण" करने के लिए सागर, जिले के बीना तहसील में अधिग्रहण की जाने वाली अवसंरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र.सं.	तहसील	मौजा	खाता सं.	खसरा सं.	कुल रकबा		अर्जन हेतु रकबा	
					वर्ग मीटर	हे.	वर्ग मीटर	हे.
1	बीना	बेलई		16/1	23900.000	2.3900	9286.112	0.9286
2				16/2	20000.000	2.0000	7723.520	0.7724
कुल रकबा					**43900.000**	**4.3900**	**17009.632**	**1.7010**

[फा.सं.एन.सी.आर.-एच.क्यू.शून्य. सी.ई.एन.जी.(लैंड)/1/2024-ओ/ओ डी.वाई.सी. ई./ सी –II जे. एच. एस. (कम्पुटर क्र.108242)]

एनामुल हक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Jhansi, the 18th November, 2025

S.O. 5280(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, **" Jhansi-Bina Third Line"** in the district of Sagar in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20 D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, SDM (Revenue) Bina, Madhya Pradesh, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely **"Construction of Jhansi-Bina Third Line"** under **Bina Tehsil** of **Sagar District** in the state of Madhya Pradesh.

Sl. No.	Tehsil	Village name	Khasara No.	Total Area		Acquisition Area	
				Sqm.	Hect.	Sqm.	Hect.
1	Bina	Belai	16/1	23900.000	2.3900	9286.112	0.9286
2			16/2	20000.000	2.0000	7723.520	0.7724
Total				**43900.000**	**4.3900**	**17009.632**	**1.7010**

[F. No. NCR-HQ0CENG(LAND)/1/2024-O/o Dy.CE/C-II/JHS (Computer No. 108242)]

ANAMUL HAQUE, Chief Administrative Officer (Construction)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2025.11.19 22:48:43 +05'30'